प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 20.07.2025

- **थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा फायरिंग व मारपीट की घटना में वांछित 03 नफर अभियुक्तगण को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी श्री अजय सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बलियापुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात ने थाना मंगलपुर पर आज दिनांक 20.07.2025 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वह दिनांक 19.07.2025 को समय करीब 06.30 बजे शाम को गांव के बाहर पंचायत भवन के पास था। वही पर विपक्षी रविशंकर पुत्र किशन सिंह निवासी धन्जू का पुरवा, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात भी बैठा था। दोनों पक्षों में कोल्ड ड्रिन्क पीने की बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। जिस पर अभियुक्त रवीशंकर उपरोक्त ने फोन कर अपने परिवारीजन (पिता व भाईयों) किशन सिंह पुत्र स्व0 देव सिंह और शुभी कुमार व जीतू पुत्रगण किशन सिंह को बुला लिया, जो अपने हाथों में लाठी डण्डा व तमंचा लेकर आये तथा वादी मुकदमा अजय सिंह के साथ मारपीट व गाली गलौज करने लगे तथा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा के ऊपर जीतू उपरोक्त द्वारा फायर किया गया। फायरिंग की आवाज से गांव के लोगों के इकट्ठा होने पर उक्त सभी वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 249/2025 धारा 109(1)/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. किशन सिंह पुत्र स्व0 देव सिंह 2.रवि शंकर पुत्र किशन सिंह निवासीगण धन्जू का पुरवा, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात 3. शुभी कुमार पुत्र किशन सिंह निवासी धन्जू का पुरवा, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात हाल तैनाती सिपाही इलेक्ट्रानिक वारफेयर यूनिट जालन्धर पंजाब को आज दिनांक 20.07.2025 को समय 13.10 बजे हिसावां व रेवां के मध्य सैय्यद बाबा मजार के पास बलियापुर मोड़ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है तथा शेष वांछित अभियुक्त जीतू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. रवि शंकर पुत्र किशन सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम धन्जू का पुरवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. किशन सिंह पुत्र स्व0 देव सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम धन्जू का पुरवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
3. शुभी कुमार पुत्र किशन सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धन्जू का पुरवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात हाल तैनाती सिपाही इलेक्ट्रानिक वारफेयर यूनिट जालन्धर पंजाब।

अभियुक्त रवीशंकर व किशन सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 535/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 249/2025 धारा 109(1)/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त शुभी कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 249/2025 धारा 109(1)/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मंगलपुर पुलिस